कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर

क्रमांकः–एफ . 32 ( ) रसद/एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025/1184 दिनांकः 28.11..2025

विज्ञप्ति (रिक्त दुकानों हेतु)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016, एफ. 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस के दौरान जिला रसद कार्यालय प्रथम उदयपुर से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 19.12.2025 तक (राजकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है –

नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु

क्र. सं.	नाम तहसील	रिक्त उचित मूल्य दुकान	एफपीएस कोड संख्या	ग्राम पंचायत/वार्ड	आरक्षण की स्थिति
1	बड़गांव	वाटी बी	4561	वाटी	महिला आरक्षित
2	बड़गांव	लोयरा	4540	लोयरा	अनारक्षित
3	बड़गांव	बड़ी	4500	बडी	महिला आरक्षित
4	भीण्डर	वार्ड 2	26544	वार्ड 2	महिला आरक्षित
5	भीण्डर	सुन्दरपुरा	16202	केदारिया	महिला आरक्षित
6	भीण्डर	पाणुन्द	4787	पाणुद	महिला आरक्षित
7	भीण्डर	आलुखेडा	4786	सवना	अनारक्षित
8	भीण्डर	वार्ड 1	26549	वार्ड 1	अनारक्षित
9	भीण्डर	भावपुरा	4750	अमरपुरा जा	अनारक्षित
10	भीण्डर	वाणिया तलाई	4788	वाणिया तलाई	अनारक्षित
11	भीण्डर	सालेड़ा	4756	सालेडा	अनारक्षित
12	भीण्डर	कुथवास	4770	कुंतवास	महिला आरक्षित
13	भीण्डर	सवना	27813	सवना	महिला आरक्षित
14	भीण्डर	बांसड़ा	4759	बांसडा	अनारक्षित
15	मावली	वार्ड 9	28819	फतहनगर–सनवाड़	अनारक्षित
16	मावली	वार्ड 11	28818	फतहनगर–सनवाड़	अनारक्षित
17	मावली	घासा बी	4671	घासा	अनारक्षित
18	मावली	आसना	4685	खेमली	अनारक्षित
19	मावली	फलीचड़ा	4721	फलीचडा	महिला आरक्षित
20	मावली	लोपड़ा	4689	लोपडा	अनारक्षित
21	मावली	भीमल	4654	भीमल	अनारक्षित
22	मावली	पलानाकलां	4718	पलानाकला	अनारक्षित
23	मावली	कुचौली	4720	फलीचडा	अनारक्षित
24	मावली	साकरियाखेडी	4724	साकरियाखेडी	अनारक्षित
25	उदयपुर	वार्ड नं. 35 (पुराना)/ वार्ड नं. 67(नया)	27889	वार्ड न. 35 (पुराना)/ वार्ड नं. 67(नया)	अनारक्षित
26	उदयपुर	वार्ड नं. 22(पुराना)/ वार्ड नं. 37(नया)	27186	वार्ड नं. 22(पुराना)/ वार्ड नं. 37(नया)	अनारक्षित

27	उदयपुर	वार्ड नं. 2(पुराना)/ वार्ड नं. 2(नया)	27205	वार्ड नं. 2(पुराना)/ वार्ड नं. 2(नया)	अनारक्षित
28	उदयपुर	वार्ड नं. 37(पुराना)/ वार्ड नं. 31(नया)	27201	वार्ड नं. 37(पुराना)/ वार्ड नं. 31(नया)	अनारक्षित
29	उदयपुर	वार्ड नं. 35(पुराना)/ वार्ड नं. 45(नया)	20774	वार्ड नं. 35(पुराना)/ वार्ड नं. 45(नया)	महिला आरक्षित
30	उदयपुर	वार्ड नं. 33(पुराना)/ वार्ड नं. 42/68(नया)	20764	वार्ड नं. 33(पुराना)/ वार्ड नं. 42/68(नया)	अनारक्षित
31	उदयपुर	वार्ड नं. 24(पुराना)/ वार्ड नं. 56 (नया)	27192	वार्ड नं. 24(पुराना)/ वार्ड नं. 56 (नया)	अनारक्षित
32	उदयपुर	वार्ड नं. 8(पुराना)/ वार्ड नं. 10(नया)	27216	वार्ड नं. 8(पुराना)/ वार्ड नं. 10(नया)	अनारक्षित
33	उदयपुर	वार्ड नं. 40(पुराना)/ वार्ड नं. 15(नया)	27905	वार्ड नं. 40(पुराना)/ वार्ड नं. 15(नया)	अनारक्षित
34	उदयपुर	जाटवाड़ी(पुराना)46/ वार्ड नं. 55(नया)	10813	जाटवाड़ी(पुराना)46/ वार्ड नं. 55(नया)	महिला आरक्षित
35	उदयपुर	वार्ड नं. 25/ वार्ड नं. 48 (नया)	27194	वार्ड नं. 25/ वार्ड नं. 48 (नया)	अनारक्षित
36	उदयपुर	वार्ड नं. 13(पुराना)/ वार्ड नं. 51(नया)	27170	वार्ड नं. 13(पुराना)/ वार्ड नं. 51(नया)	महिला आरक्षित
37	उदयपुर	वार्ड नं. 5(पुराना)/ यादव कॉलोनी वार्ड नं. 6(नया)	27210	वार्ड नं. 5(पुराना)/ यादव कॉलोनी वार्ड नं. 6(नया)	अनारक्षित
38	वल्लभनगर	मेनार बी	4817	मेनार	महिला आरक्षित
39	वल्लभनगर	मुण्डोल	4828	गोटिपा	अनारक्षित
40	वल्लभनगर	टूस डांगीयान	4796	टुस डांगियान	अनारक्षित
41	वल्लभनगर	गुपड़ी	4791	गुपडी	अनारक्षित

टीएसपी क्षेत्र हेतु

क्र. स.	नाम तहसील	रिक्त उचित मूल्य दुकान	एफपीएस कोड संख्या	ग्राम पंचायत/वार्ड	आरक्षण की स्थिति
1	बड़गांव	धार	4513	धार	अनारक्षित
2	भीण्डर	भोपाखेड़ा	4779	भोपाखेडा	अनारक्षित महिला
3	भीण्डर	नागलियां	4771	धावडिया	अनुसूचित जनजाति (महिला आरक्षित)
4	भीण्डर	फुसरिया	4780	भोपाखेडा	अनुसूचित जनजाति
5	गिर्वा	कानुपर ए	28802	कानपुर	अनारक्षित
6	गिर्वा	देवाली	4467	देवाली	अनारक्षित
7	गिर्वा	सुराणा	4374	बछार	अनारक्षित
8	गिर्वा	बलीचा	4377	बलीचा	अनुसूचित जनजाति
9	गिर्वा	नेला	4464	देवाली	अनारक्षित
10	बारापाल	सरू ए	4459	सरू	अनारक्षित महिला
11	बारापाल	जावर	4421	जावर	अनारक्षित महिला
12	बारापाल	आड़	4371	पोपल्टी	अनुसूचित जनजाति
13	बारापाल	सेठजी की कुण्डाल	4378	बलीचा	अनारक्षित
14	बारापाल	टिडी ए	4480	टीड़ी	अनुसूचित जाति
15	कुराबड़	बिछड़ी	4396	बिछड़ी	अनुसूचित जनजाति (महिला आरक्षित)
16	कुराबड़	फिला	4455	फिला	अनारक्षित
17	कुराबड़	कुराबड़ ए	4433	कुराबड़	अनुसूचित जनजाति
18	कुराबड़	खारवा	4406	चांसदा	अनुसूचित जनजाति
19	कुराबड़	साकरोदा	4457	साकरोदा	अनुसूचित जनजाति
20	कुराबड़	बम्बोरा ए	4382	बम्बोरा	अनारक्षित
21	कुराबड़	वल्लभ	4381	वल्लभ	अनुसूचित जनजाति

22	कुराबड़	पाडा खादरी	4458	साकरोदा	अनुसूचित जनजाति
23	कुराबड़	बेमला	4387	बेमला	अनारक्षित
24	कुराबड़	शिशवी ए	4469	शिशवी	अनारक्षित महिला

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों मे वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा–निर्देशों तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **food.raj.nic.in** व जिला रसद कार्यालय प्रथम उदयपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताऐ निम्नानुसार होगी –

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमे उचित मूल्य दुकान स्थित है।
   उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड **(RKCL)** या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये।
5. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
6. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा –
   - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
   - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
   - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– होना आवश्यक है।
8. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
   - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
   - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
   - समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।
9. आवेदक/समितियो/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देदशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
11. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वंय सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनांए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
    उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
13. सभी रिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत् जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।

27/11/2025

(मनीष भटनागर)
जिला रसद अधिकारी
(प्रथम) उदयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट **food.raj.nic.in** पर अपलोड करावे।
5. माननीय सांसद महोदय उदयपुर/चित्तौड़गढ़।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला उदयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर
8. समस्त उपखण्ड़ अधिकारी जिला उदयपुर।
9. तहसीलदार समस्त जिला उदयपुर।
10. आयुक्त नगर निगम उदयपुर ।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला उदयपुर ।
12. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त जिला उदयपुर।
13. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम उदयपुर. ।
14. उप निदेशक, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
(प्रथम) उदयपुर
27/11/2025